जयपुर शहर प्रथम

12/10/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वकील वादी/वादीगण बार-बार सख्त रूख कर न्यायालय समय में न्यायालय समय समाप्ति तक इजलास लगवाई गई। बावजूद वकील वादी/वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः वादीगण वकील का वाद अग्रिम अग्रिम अग्रिम पेशी में पारित किया जाता है। पत्रावली पत्रावली नियमानुसार से वाद होकर निर्णय सुनाया होकर पारित किया जाता है।

अपर जिला कलेक्टर (आर.ए.एस.)
जयपुर शहर
(जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 14:59:07 IST
Reason: SelfAttested